

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक-02.03.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं0- 01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक-03.02.2026 के कार्यवाही के विन्दुओं के अनुपालन पर विचार :-

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-02

प्राधिकार की बैठक दिनांक -03.02.2026 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :-

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल-15 प्राधिकरण-पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-03

प्राधिकार की बैठक दिनांक-03.02.2026 के बाद निर्गत पीक अप भान / ट्रक के स्थाई परमिट / अस्थायी परमिट का ब्यौरा :-

(क) ट्रक / पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-04

प्राधिकार की बैठक दिनांक -03.02.2026 के बाद बस / मिनी बस / सिटी बस / सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई / विशेष परमिट का

ब्यौरा :-

बस / मिनी बस / सिटी राईड के कुल-304 (दिनांक01.03.2026 तक) विशेष परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक-03.02.2026 के बाद बस / मिनी बस / सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार:-  
दिनांक-02.03.2026 तक बस / मिनी बस के कुल-29 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:-

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अनिश्चित	निष्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	अनु झा	BR11PA-3979 (बस) 01-04-2016 Cap-42	जोगबनी से भागलपुर डिवसमरोड कुल खेप-01 कुल दूरी-320	16-04-2026 28-03-2026 01-07-2026 28-02-2026	परमिट सं०-BR2023-SC-1819A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। परमिट की वैधता-26.06.2028 है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
2	प्रवेज आलम	BR11PC-9232 (बस) 24-08-2021 Cap-45	किसानगंज से पूर्णिमा कुल खेप-02 कुल दूरी-480	26-08-2027 15-05-2026 15-08-2026 21-08-2026	परमिट सं०-BR2025-SC-2873A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। परमिट की वैधता-25.09.2030 है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
3	प्रवेज आलम	BR11PB-8752 (बस) 13-09-2019 Cap-42	पूर्णिमा से तालगाछ कुल खेप-02 कुल दूरी-370	13-10-2027 08-03-2026 30-10-2026 09-12-2026	आपत्ति अप्राप्त	स्वीकृत।
4	प्रवेज आलम	BR11PC-8752 (बस) 02-09-2022 Cap-43	किसानगंज से पूर्णिमा कुल खेप-02 कुल दूरी-480	01-09-2026 19-05-2026 04-09-2026 09-12-2026	आपत्ति अप्राप्त	स्वीकृत।
5	विक्रम कुमार भारती	BR11PD-9972 (बस) 24-02-2025 Cap-41	फलका से कटिहार कुल खेप-4 कुल दूरी-256	23-02-2027 16-02-2026 16-02-2027 23-02-2026	आपत्ति अप्राप्त	स्वीकृत।
6	राज कुमार	BR11PD-3167 (बस) 02-07-2025 Cap-41	पूर्णिमा से लोचाघाट कुल खेप-02 कुल दूरी-440	01-07-2027 26-03-2026 01-07-2026 01-07-2026	परमिट सं०-BR2025-SC-2576A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। परमिट की वैधता-29.08.2030 है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
7	बिमल कुमार झा	BR01PE-8351 (बस) 12-04-2014 Cap-47	जोगबनी से भागलपुर डि० रोड कुल खेप-01 कुल दूरी-358	27-02-2026 11-04-2026 13-03-2026 19-11-2026	परमिट सं०-BR2020-SC-0621A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। परमिट की वैधता-22.12.2025 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरत परमिट की स्वीकृति प्राप्त शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं कराये तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।

f

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण	पूर्व से आवृत परमिट /आपत्ति /अभियुक्ति	निर्णय
8	समीर जमशेद	BR10PC-4719 (बस) 19-10-2025 Cap-41	कटिहार से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-260	18-10-2027 14-04-2026 14-10-2026 18-10-2026	आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत।
9	साहेला खानुन	BR11M-7833 (बस) 11-05-2013 Cap-41	पूर्णिमा से बरबट्टा कुल खेप-02 कुल दूरी-300	28-07-2026 02-05-2026 24-08-2026 10-02-2027	आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में समय अंतराल कम रहने के कारण उक्त समय-सारणी वापस लेने का अनुरोध किया गया है।	आवेदक के अनुरोध पर उक्त समय-सारणी को अस्वीकृत किया जाता है तथा एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।
10	तुषार कुमार	BR11T-9927 (बस) 26-10-2015 Cap-37	पूर्णिमा से चुन्नी कुल खेप-02 कुल दूरी-380	15-12-2026 10-04-2026 27-09-2026 24-11-2026	परमिट सं0-49/2017/18PUR से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। परमिट की वैधता-30.05.2022 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणपत्रांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।
11	श्रीमति स्मिता	BR11T-4060 (बस) 04-07-2014 Cap-41	किशनगंज से अररिया जीरो मार्डल कुल खेप-02 कुल दूरी-248	07-10-2026 24-03-2026 05-10-2026 03-10-2026	परमिट सं0-BR2026-SC-0161A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। परमिट की वैधता-09.01.2031 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणपत्रांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।
12	शिव कुमार अग्रवाल	BR38F-5575 (बस) 15-07-2014 Cap-41	जोगबनी से पूर्णिमा कुल खेप-01 कुल दूरी-184	09-08-2026 13-04-2026 10-07-2026 15-08-2026	परमिट सं0-BR2024-SC-1757A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। परमिट की वैधता-13.09.2029 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणपत्रांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।
13	कुपाल कुमार यादव	BR07PA-7156 (बस) 12-12-2015 Cap-42	फलका से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	13-06-2026 27-02-2026 16-12-2026 02-01-2027	आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणपत्रांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।

9

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण	पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
14	नजिया खानून	BR39PA-5889 (बस) 15-10-2025 Cap-41	कटिहार से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-360	14-10-2027 28-03-2026 26-09-2026 14-10-2026	आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत।
15	विनोद मिश्रा	BR39K-1611 (बस) 10-10-2012 Cap-41	पूर्णिया से भीमनगर कुल खेप-01 कुल दूरी-220	02-04-2026 09-04-2026 28-03-2026 30-08-2026	परमिट सं०-BR2024-SC-0294A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-31.01.2029 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरान्त परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।
16	मो० अबसार आलम	BR37P-7111 (बस) 03-06-2025 Cap-41	किशनगंज से सुपौल कुल खेप-02 कुल दूरी-340	02-06-2027 27-02-2026 01-06-2026 02-06-2026	परमिट सं०-BR2025-SC-2144A से आवृत एवं RTA दरभंगा से निर्गत है। परमिट की वैधता-30.07.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरान्त परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।
17	आरती भगत	BR11T-1927 (बस) 06-12-2013 Cap-41	पूर्णिया से बरबट्टा कुल खेप-02 कुल दूरी-300	29-08-2026 05-03-2026 01-07-2026 18-11-2026	परमिट सं०-BR2024-SC-1447A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-06.08.2029 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरान्त परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा।
18	श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डे	BR11PD-5648 (बस) 12-01-2026 Cap-45	पूर्णिया से सैटा कुल खेप-03 कुल दूरी-318	11-01-2028 30-03-2026 30-12-2026 11-01-2027	आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत।
19	मो० नसीर आलम	BR37P-6756 (बस) 19-10-2025 Cap-41	पूर्णिया से किशनगंज कुल खेप-02 कुल दूरी-440	18-10-2027 10-04-2026 10-10-2026 25-10-2027	आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत।
20	श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डे	BR11PC-9893 (बस) 27-06-2024 Cap-45	पूर्णिया से सैटा कुल खेप-02 कुल दूरी-318	26-06-2026 24-03-2026 24-06-2026 22-06-2026	परमिट सं०-BR2025-SC-0822A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। परमिट की वैधता-26.03.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरान्त परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।

9

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेस, कर, बीमा, प्रदूषण	पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
21	शैलेन्द्र कुमार पाण्डे	BR11PD-1925 (बस) 01-02-2025 Cap-45	पूर्णिमा से सैटा कुल खेप-03 कुल दूरी-318	31-01-2027 29-04-2026 30-01-2027 29-01-2027	परमिट सं0-BR2025-SC-0826A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। परमिट की वैधता-26.03.2030 है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरंत परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।
22	शैलेन्द्र कुमार पाण्डे	BR11PD-5646 (बस) 12-01-2026 Cap-45	सैटा से पूर्णिमा कुल खेप-03 कुल दूरी-318	11-01-2028 06-04-2026 06-01-2027 11-01-2027	आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत।
23	शाहीन प्रवीण	BR11T-5917 (बस) 28-10-2024 Cap-43	पूर्णिमा से बरबट्टा कुल खेप-03 कुल दूरी-424	12-01-2027 24-04-2026 04-12-2026 28-10-2026	क्षेत्रीय प्रबंधक, बि0रा0प0परि0 निगम, पूर्णिमा द्वारा वाहन सं0-BR01PH-3338 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2023-SC-3281A से पूर्णिमा प्रस्थान-15:19 पर आपत्ति दी गयी है जबकि आपत्तिकर्ता का पूर्णिमा प्रस्थान-15:20 है।	आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिवालन मार्ग सामान है। जिसका रूट सं0-2108 है इस मार्ग पर कुल-04 वाहन परिवालित है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के निर्णय अनुसार -5 से 9 वाहन परिवालित मार्ग पर प्रस्थान समय से पहले 15 मिनट तथा बाद में 07 मिनट समय अंतराल रखा जाना है। जबकि आवेदक द्वारा मुख्य प्रस्थान बिन्दु लोचाघाट पर 14 मिनट का समय अंतराल रख गया है। आवेदक को निदेश दिया जाता है कि लोचाघाट प्रस्थान बिन्दु पर प्राधिकार के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत न्यूनतम समय अंतराल रखते हुए एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करायें जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।
24	साहेला खानून	BR11PD-3696 (बस) 18-08-2025 Cap-45	पूर्णिमा से लोचाघाट कुल खेप-02 कुल दूरी-440	17-08-2027 17-05-2026 17-08-2026 17-08-2026	वाहन सं0-BR11T-5212 के वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2025-SC-0819A से लोचाघाट प्रस्थान-05:55 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का लोचाघाट प्रस्थान-06:09 है।	आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिवालन मार्ग सामान है। जिसका रूट सं0-2108 है इस मार्ग पर कुल-04 वाहन परिवालित है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के निर्णय अनुसार -5 से 9 वाहन परिवालित मार्ग पर प्रस्थान समय से पहले 15 मिनट तथा बाद में 07 मिनट समय अंतराल रखा जाना है। जबकि आवेदक द्वारा मुख्य प्रस्थान बिन्दु लोचाघाट पर 14 मिनट का समय अंतराल रख गया है। आवेदक को निदेश दिया जाता है कि लोचाघाट प्रस्थान बिन्दु पर प्राधिकार के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत न्यूनतम समय अंतराल रखते हुए एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करायें जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।

9

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
25	स्वराज कुमार सिंह	BR11PD-2825 (बस) 31-05-2025 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-03 कुल दूरी-318	30-05-2027 27-02-2026 29-05-2026 30-05-2026	वाहन सं०-BR11PD-2222 के वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन के पक्ष में पूर्व प्रकाशित समय-सारणी से रूपौली प्रस्थान -16:08 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का रूपौली प्रस्थान-16:09 है।	(1) आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिवालन मार्ग सामान है। आवेदक का समय-सारणी आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के बाद प्रकाशित है। आवेदक मुख्य प्रस्थान बिन्दु रूपौली पर 4 मिनट का समय अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेंगे। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा। (2) आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिवालन मार्ग सामान है। आपत्तिकर्ता के वाहन सं०-BR11PD-2222 में प्रकाशित समय-सारणी पर वाहन सं०-BR10PA-7250 के वाहन स्वामी द्वारा पूर्व में दी गई समय-सारणी सुरक्षित रखने संबंधि आवेदन के आलोक में दिनांक-03.02.2026 को आयोजित प्राधिकार की बैठक की कार्यावली सं०-5(25, 26) के निर्णय अनुसार वाहन सं०-BR10PA7250 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2022-SC-0582A में अंकित समय-सारणी सुरक्षित रखा गया है। उक्त आलोक में दिनांक-06.01.2026 के प्राधिकार की बैठक के कार्यावली सं०-5(11) पर लिये गये निर्णय स्वतः शिथिल हो जाने के कारण आपत्तिकर्ता को निदेश दिया जाता है कि दिनांक-15.12.2025 को प्रकाशित समय-सारणी के रूपौली प्रस्थान-10:48 को विनिश्चिंत समय अंतराल के साथ संशोधित करते हुए एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।

1

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण	पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
26	प्रिस शुभम	BR11PD-2045 (बस) 18-02-2025 Cap-41	पूरुणिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-424	17-02-2027 14-05-2026 15-02-2027 13-02-2027	वाहन सं0BR11PC-7877 के वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन के पक्ष में पूर्व प्रकाशित समय-सारणी से पूरुणिया प्रस्थान-18:42 पर आपत्ति दी गयी है। जबकि आपत्तिकर्ता का पूरुणिया प्रस्थान-18:45 है।	आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिवालन मार्ग सामान है। आपत्तिकर्ता का पूरुणिया प्रस्थान-18:45 स्वीकृत है। आवेदक द्वारा पूरुणिया प्रस्थान बिन्दु पर मात्र 3 मिनट का समय अंतराल रखा गया है। आवेदक उक्त बिन्दु पर न्यूनतम 4 मिनट का समय अंतराल रखते हुए एक सप्ताह के अंदर समय अंतराल रखते हुए एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।
27	मो0 मुस्ताफा अली	BR11PD-2610 (बस) 03-05-2025 Cap-41	पूरुणिया से लोचाघाट कुल खेप-02 कुल दूरी-440	02-05-2027 01-05-2026 01-05-2026 02-05-2026	क्षेत्रीय प्रबंधक, वि0रा0प0परि0 निगम, पूरुणिया द्वारा वाहन सं0-BR01PL-7634 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2025-SC-0262A से अमौर प्रस्थान-09:19 पर आपत्ति दी गयी है जबकि आपत्तिकर्ता का अमौर प्रस्थान-09:20 है।	आवेदक का परिवालन मार्ग पूरुणिया से लोचाघाट तथा आपत्तिकर्ता का परिवालन मार्ग महादिन्धी से पूरुणिया है। दोनों मार्ग का सामान परिवालन दूरी 60 प्रतिशत से अधिक है। आपत्ति परिवालन मार्ग के मध्य बिन्दु अमौर है आवेदक को अमौर प्रस्थान पर न्यूनतम दो मिनट का समय अंतराल रखते हुए एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।
28	कुन्दन कुमार साह एवं सावीर	BR38P-6843 (बस) 20-01-2025 Cap-41 (MMPPY)	सिकटी से पूरुणिया कुल खेप-01 कुल दूरी-182	19-01-2027 19-10-2026 19-01-2027 02-02-2027	वाहन सं0-BR38P-6985 के वाहन स्वामी द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अंतर्गत प्रावधानों के तहत अनुमान्य मार्ग पर परमिट निर्गत करने तथा नियम के विरुद्ध आवेदित आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है।	आवेदक द्वारा सिकटी से पूरुणिया मार्ग हेतु प्रस्तावित समय-सारणी प्रस्तुत किया गया है जबकि आवेदक का चयन मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत अररिया जिला के पलासी प्रखंड से किया गया है। परिवहन विभाग के पत्रांक-14344 दिनांक-11.12.2024 के कॉडिका-(क) के अनुसार आवेदक पलासी प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाले अधिसूचित मार्ग पर ही आवेदन देने हेतु बाध्य है। उक्त आलोक में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि परिवहन विभागीय प्रावधान के आलोक में अधिसूचित मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन समर्पित करेंगे।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण	पूर्व से आवृत परमिट / आपति / अभियुक्ति	निर्णय
29	शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय	BR11PD-5647 (बस) 12-01-2026 Cap-45	कटिहार से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-256	11-01-2028 06-04-2026 06-01-2027 11-01-2027	आवेदक द्वारा अपने वर्तमान वाहन सं०-BR11PA-8074 के पक्ष निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2023-SC-2772A को अपने उच्चतर मॉडल के वाहन पर परमिट का प्रतिस्थापित करने हेतु मान्य शुल्क के साथ आवेदन समर्पित किया है।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आलोक में वाहन सं०-BR11PA-8074 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2023-SC-2772A में अंकित समय-सारणी पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाती है साथ ही परमिट सं०-BR2023-SC-2772A को प्रत्यार्पित किया जाता है।
30	निलेश कुमार चौधरी	BR11RA-9090 (बस) 17-05-2025 Cap-26	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-440	16-03-2027 09-03-2026 04-03-2026 16-03-2026	वाहन सं०-BR-11T-6923 के वाहन स्वामी स्वाराज कुमार सिंह द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2021-SC-1551A से पूर्णिया प्रस्थान-17:18 पर आपति दी गई है। जबकि आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान-17:21 है।	आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिचालन मार्ग सामान है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान-17:21 है। आवेदक द्वारा पूर्णिया प्रस्थान बिन्दू पर मात्र 3 मिनट का समय अंतराल रखा गया है। आवेदक उक्त बिन्दू पर न्यूनतम 4 मिनट का समय अंतराल रखते हुए एक सप्ताह के अंदर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।

१

## कार्यावली सं0-05(क)

विहार मोटरयान नियमावली, 1992 के नियम-101 के तहत प्राप्त एंजेन्ट अनुज्ञप्ति आवेदन का व्यौरा:-

क्र0 सं0	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क/चलान लिखि	चरित्र प्रमाण-पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
01	मो0 साज्जाद आलम पिता- मो0 मगनु ग्राम+पो0-सैटा, थाना-सैटा, जिला-पूर्णिमा।	2181566236239	4450 / 23.02.2026	पुलिस अधीक्षक, पूर्णिमा द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं0-BCHC/2025/1762774 दिनांक-31.12.2025.	सैटा बस स्टैण्ड, जिला-पूर्णिमा हेतु।	स्वीकृत।
02	संजीव कुमार रंजन पिता- सत्यादेव ठाकुर ग्राम- मखदमपुर, पो0-पवाई, थाना-कोडा, जिला-कटिहार।	722934937327	4450 / 27.02.2026	पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं0-BCHC/2026/35414 दिनांक-24.01.2026.	पवाई बस स्टैण्ड, जिला-कटिहार हेतु।	स्वीकृत।
03	नरोन्द्र कुमार सिंह पिता- देव प्रसाद सिंह ग्राम+पो0-गोराबाड़ी, थाना-कोडा, जिला-कटिहार।	539264756148	4450 / 28.02.2026	पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं0-BCHC/2026/152686 दिनांक-16.02.2026.	गोराबाड़ी बस स्टैण्ड, जिला-कटिहार हेतु।	स्वीकृत।

### कार्यावली सं0-05(ख)

वाहन सं0-BR11PD-2222 के वाहन स्वामी निलेश कुमार चौधरी द्वारा वाहन सं0-BR11PD-2659 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2026-SC-0367A में अंकित रूपौली प्रस्थान-20:10 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता के अनुसार इनके द्वारा भी पूर्व में रूपौली प्रस्थान-20:10 प्रस्तावित समय-सारणी प्रस्तुत किया था। जिसकी स्वीकृति प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है। उक्त आलोक में BR11PD-2659 के परमिट को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

निर्णय:- दिनांक-03.02.2026 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के बैठक की कार्यावली सं0-5(27) में लिए गये निर्णय के आलोक में वाहन सं0-BR11PD-2659 के वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधित समय-सारणी कार्यालय पत्रांक-239 दिनांक-14.02.2026 द्वारा कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर दिनांक-21.02.2026 तक आपत्ति की मांग की गई थी। आपत्तिकर्ता द्वारा वाहन सं0-BR11PD-2659 के प्रकाशित समय-सारणी पर निर्धारित समय अवधि के अंदर कोई आपत्ति नहीं देने के कारण दिनांक-23.02.2026 को उक्त वाहन का परमिट निर्गत किया जा चुका है। ऐसे में आपत्ति विचाराणीय नहीं है।


1

कार्यावली सं0-07.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 03.02.2026 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के कुल-10 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ड्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।



(रवि राकेश)

अपर समाहर्ता, पूर्णिया

-सह-सदस्य,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
पूर्णिया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।



(अवधेश कुमार आनंद)

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

पूर्णिया।

रि.नं.क.

02/03/2026.

(राजेश कुमार)

आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,

-सह-अध्यक्ष,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार  
पूर्णिया।

- प्राधिकार की बैठक दिनांक- 03.02.2026 के बाद जीप / ऑटो रिक्शा / मोटर कैब के निर्गत स्थायी / अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-
- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्शा / मोटर कैब के कुल-10 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी / नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक / पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

02.03.26

(रवि साक्षे)

उपर सनाहता, पूर्णिया

-सह-सदस्य,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

पूर्णिया।

(अवधेश कुमार आनंद)

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

पूर्णिया।

Page k.

02/03/2026.

(राजेश कुमार)

आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,

-सह-अध्यक्ष,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

पूर्णिया।

ज्ञापक 209

दिनांक 06-03-2026

प्रतिनिधि- 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिनिधि- 02. उपर सनाहता-सह-सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिनिधि- 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अवधेश कुमार आनंद)

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।